न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू 27.05.2021

मुकदमा नं0 226 / 2021

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेद्याज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2021 / 149 उनवान– बद्री बनाम हीरालाल वगै0

उनवान

बद्री पुत्र सुन्दर जाति जाटव निवासी रारा शाहपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

——सायल 01

बनाम

हीरालाल पुत्र हरमुख वगै0 जाति गुर्जर निवासी नरसिंहपुरा तहसीलदार हिण्डौन जिला करौली राज0

——गैरसायलान 03

दिनांक	फर्द अहकाम	
27.05.2021	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री मुरारी लाल करसौलिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। प्रकरण में विवादित आराजीयात से वेदखल, कब्जा नहीं करने हेतु गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं0 548 रकबा 1 ऐयर गै0मु0 बोरिंग वाके ग्राम कारवाडी जटट् तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक प्रार्थी के हिस्से तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। वास्ते तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं होने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 17.06.2021 को पेश हों। (सुरेश कुमार यादव) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
17/6/2021	पत्रावली पेश हुई। सायल वकील उपस्थित। अ० सायल न० 1 व 2 की ओर से श्री [illegible] एड० [illegible] पेश किया। अ०प्रा० न० 3 की अदि० तामील [illegible] पत्रावली वास्ते जवाब व [illegible] को पेश हो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.07.22 13:06:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner